E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com
Phone: 01498-261261
Phone & FAX: 01498-261233

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनीरत्न कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसरः जिला-श्रीगंगानगर(राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालयः-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्राकःके.रा.फा./जैत./कृषि/10-47(आ.सो.)/**2021—22**/ दिनांक : 16-09-2021

अल्प कालीन निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला-श्रीगंगानगर(राज.) पर वर्ष 2021-22 मे रबी 2021-22 व जायद– 22 के सीजन मे उगाई जाने वाली फसलों के कृषि कार्यों के लिए आऊट-सोर्सिंग फसल उत्पादन मे हिस्से के आधार पर भुगतान हेतु चक 1 BGM **का** 162.80 **हैक्ट**., 2 SAD **का** 205.60 **हैक्ट**., 7 SAD **का** 180.80 **हैक्ट., (Total area 549.20 हैक्ट.)** क्षेत्र के लिए निविदाएं आंमत्रित की जाती है। उक्त कार्य के लिए निविदायें दिनांकः 30.09.2021 को दोपहर 1.00 बजे तक तकनीकी एंव वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफों मे आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन दोपहर 02.30 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांकः 30.09.2021 तक प्रातः 11.30 बजे तक ही किया जायेगा। निविदा मे भाग लेने के लिए प्रपत्र एंव कार्य की नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस मे फार्म के कृषि कार्यालय से रुपये 1180/-(Rs.1000/- + GST charge 18%) का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर अथवा online transfer के उपरान्त एंथेटिक प्रूफ प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है। उपर्युक्त कार्य के लिए अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट /NEFT/ RTGS रुपये 1500/-(अखरे रुपये पन्द्रह सौ मात्र) प्रति हैक्टयर के हिसाब से, जोकि नैशनल सीडस कार्पोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष मे, भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, Account No.33963396672) पर देय हो, धरोहर राशि के रुप मे जमा/संलग्न करना होगा। निविदा प्रपत्र विक्रय के लिए एवं धरोहर राशि जमा करने के लिए नगद राशि फार्म के बैंक खाते स्वीकार्य नहीं होगी । असफल निविदादाता की धरोहर राशि निगम के खाते में जमा होने के बाद NEFT/RTGS के माध्यम से लौटा दी जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने के बाद लौटाई जायेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नही होगा। तकनीकी निविदा मे पैनकार्ड, आधार कार्ड/ वोटर आई.डी. व बैंक खाता संख्या मय आई.एफ.एस.सी. कोड के विवरण की स्वंय प्रमाणित छायाप्रति, उपलब्ध मशीनों का विवरण एंव निर्धारित राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट NEFT/ RTGS के द्वारा जमा कर संलग्न करना होगा एवं उसका एंथेटिक प्रूफ भी संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सफल तकनीकी निविदादाता की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

निविदा संबंधी जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 तक कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। आगे कोई भी शुद्धिपत्र वेबसाईट www.indiaseeds.com पर ही डाली जाएगी।

नोटः इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्र को किसी भी स्थान से Online प्रिन्ट लेकर भर सकते है। उसके साथ निर्धारित प्रपत्र का मुल्य **1180** रू. एवं धरोहर राशि का डी.डी लगाकर फार्म के Tender Box में डाल सकते है।

सहा.प्रबंधक(उत्पादन)
कृते निदेशक

E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com
Phone: 01498-261261

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(मिनीरत्न कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला–श्रीगंगानगर (राज),

रजिस्टर्ड कार्यालयः-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्रांकःके.रा.फा./जैत./कृषि/10-47(आ.सो.)/2021–22/ दिनांकः **16.09.2021**

वित्तिय निविदा प्रपत्र

समस्त कृषि क्रियाओं व प्रयोग मे लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज मे हिस्सा आधारित उत्पादन पद्धति नियम शर्तो के आधार पर वर्ष 2021–22 जिसमें रबी 2021–22 व जायद– 22 में केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला– श्रीगंगानगर के चकों की जमीन पर बीज उत्पादन के लिये दरें निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है

1. निविदादाता का नाम व पताः–...
2. वोटर आई कार्ड/आधार कार्ड नं.(प्रतिलिपि सहित)..
3. फोन नं..
4. पेन कार्ड नम्बर(प्रतिलिपि सहित):–..
5. अमानत राशि का विवरण डी0डी0 नं. व RTGS/NEFT न. सहित :–..

क्र. सं	फसल उत्पाद की दर प्रतिशत मे जो निविदादाता द्वारा ली जानी है।			
	चक का नाम	कुल क्षेत्र (सिंचित/असिंचित क्षेत्र)	फसल सीजन, फसल का नाम व क्षेत्र (हैक्टेयर)	फसल उत्पाद हिस्से की दर प्रतिशत में,जो किसान लेगा (वर्ष 2021–22 जिसमें रबी 2021–22 व जायद– 22 के लिए)
(कैनाल व ट्यूबवैल का पानी)				
1	1 BGM	कुल क्षेत्र 162.80 हैक्टयर (सिंचित क्षेत्रः 148.80 है0 (जिसमें 78.00 है0 पीवोट है), असिंचित क्षेत्रः 14.00 है0)	रबी 2021–22 गेहूं, जौ 40 %-45% क्षेत्र, व सरसों व तोरिया 20% - 25 % क्षेत्र, चना 20% - 25 % इत्यादि 25 % - 30% क्षेत्र, (असिंचित क्षेत्र मे सरसों, तारामीरा इत्यादि) जायद–2022 मूँग (उपलब्ध क्षेत्रानुसार)	------------------- -%
2	2 SAD	कुल क्षेत्र 205.60 हैक्टयर (सिंचित क्षेत्रः 175.20 है0, असिंचित क्षेत्रः 30.40 है0)	रबी 2021–22 गेहूं, जौ 50 % व सरसों व तोरिया 25 % क्षेत्र, चना इत्यादि 25 % क्षेत्र, (असिंचित क्षेत्र मे सरसों, तारामीरा इत्यादि) जायद–2022 मूँग (उपलब्ध क्षेत्रानुसार)	--------------------%
	7 SAD	कुल क्षेत्र 180.80 हैक्टयर (सिंचित क्षेत्रः 147.20 है0 (जिसमें 75.00 है0 पीवोट है), असिंचित क्षेत्रः 33.60 है0)	रबी 2021–22 गेहूं, जौ 50 % व सरसों व तोरिया 25 % क्षेत्र, चना इत्यादि 25 % क्षेत्र, (असिंचित क्षेत्र मे सरसों, तारामीरा इत्यादि) जायद–2022 मूँग (उपलब्ध क्षेत्रानुसार)	--------------------%

नोटः रबी 2021–22 व जायद– 22 की फसलों की बुवाई का जो प्रतिशत निविदा में दिया गया है। आवश्यकतानुसार घटाया व बढाया भी जा सकता है।

मैने निविदा की समस्त नियम व शर्ते अच्छी तरह पढ व समझ ली है। मैं फार्म द्वारा निर्धारित नियम व शर्तो के अनुसार कार्य करने के लिए सहमत हूँ। इस आशय का शपथ पत्र रुपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य स्वीकृत होने पर प्रस्तुत कर दूंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर..
नाम व पताः–...
मोबाईल नं.:–...

E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com
Phone: 01498-261261

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(मिनीरत्न कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला–श्रीगंगानगर(राज)

रजिस्टर्ड कार्यालयः-बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्रांकःके.रा.फा./जैत./कृषि/10-47(आ.सो.)/2021–22/ दिनांकः 16.09.2021

तकनीकी विवरण प्रारूप (हिस्सा आधारित बीज उत्पादन आऊटसोर्सिंग)

कम सं0	विवरण	निविदादाता द्वारा दिया गया आवश्यक विवरण
1	निविदादाता का नाम व पता पिन कोड सहित।	
2	प्रस्तावित क्षेत्र (है0 में) चक का नाम सहित	
3	कुल जमा सुरक्षा धन राशि (बिना निविदा प्रपत्र मुल्य के)	
4	जमा सुरक्षा धन राशि का विवरण (D.D./ NEFT/RTGS etc.)	
5	बैंक का नाम (जिसके द्वारा सुरक्षा धन राशि जमा की गई है)	
6	निविदादाता के बैंक नाम व आईएफएससी कोड नं0	
7	निविदादाता का खाता न0 एवं बैंक पास बुक की फोटो कॉपी।	
8	आधार कार्ड नं0	
9	पेन का कार्ड नं0	
10	उपलब्ध कृषि मशीनरी का विवरण अलग से संलग्न करें।	

निविदाता के हस्ताक्षर.....................................

पत्र व्यवहार का पूर्ण पता...............................

....

....

मोबाईल नं...

E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com
Phone: 01498-261261
E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com
Phone: 01498-261261

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(मिनीरत्न कम्पनी-भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913
ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर, जिला–श्रीगंगानगर(राज)

रजिस्टर्ड कार्यालयः-बीज भवन ,पूसा परिसर ,नई दिल्ली-110012

पत्राकःके.रा.फा./जैत./कृषि/10-47(आ.सो.)/**2021–22/** दिनांकः 16.09.2021

		Block-1		Block-2		Block-3	
S.NO.	Name of crop	1 BGM		2 SAD		7 SAD	
		Irrigated	Unirrigated	Irrigated	Unirrigated	Irrigated	Unirrigated
Rabi-2021-22							
1	**Mustard**	9.00		13.23		14.73	
2	**Toria**			8.87			
3	**Oat**	9.26		10.42		11.10	
4	**Gram**	6.40		8.70		10.53	
5	**Wheat**	27.31		36.10		40.96	
6	**Barley**	25.04		29.47		29.93	
7	**Radish**	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
8	**Coriander**	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
9	**Palak**	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
10	**Methi**	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
Summer-22							
1	Moong	5.00		5.00		5.00	

Note : Other Crops as per actual

नोटः विगत तीन वर्षो में फार्म के जिन चकों में यदि कोई फसल नहीं ली गई है तो उन चकों का लक्ष्य फार्म में ली जाने वाली फसलों की प्राप्त औसत उपज प्रति हेक्टर के अनुसार रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर

समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में <u>हिस्सा आधारित उतपादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें ।</u>

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 1500/- प्रति है0 मात्र डी.डी. <u>(जो अनुसूचित बैंक द्वारा बना हुआ हो)</u> द्वारा जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड जैतसर के नाम देय हो,जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि (EMD) कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर व **<u>अंतिम निपटान पूर्ण होने</u>** पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड व स्थाई पता देना होगा।
2. **अगर किसी निविदादाता की आउटसोर्सिंग के समय में और उसके उपरान्त देय भुगतान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा जिसको निविदादाता के द्वारा टेंडर भरते समय नामित करना होगा। नामित करने हेतु निविदादाता को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर संबंधित व्यक्ति को नामित करते हुए इसके साथ उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करने होगे तथा इस पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर को निविदादाता के द्वारा प्रमाणित करना होगा।**
3. **निविदादात्ता टेंडर बॉक्स में निविदा डालने के बाद यदि निविदा वापिस लेना चाहता है तो वह निविदा देने के निर्धारित समय से पहले निविदा वापसी का प्रार्थना पत्र दे कर निविदा वापिस ले सकता है परन्तु निर्धारित समय के बाद निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में उच्चत्तम दर देने वाले सफल निविदादात्ता द्वारा किसी भी कारण से कार्य न करने की अवस्था में जमा अमानत राशि (EMD) वापिस नहीं की जाएगी।**
4. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एंव बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे। बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (ग्रोवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता से **<u>70 प्रतिशत देय अग्रिम भुगतान राशि में समायोजित</u>** किया जायेगा। **<u>किसान को दिये जाने वाले बीज (planting material) की दर grower programme में दी गई पॉलिसी के अनरूप की जाएगी।</u>** पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। गेहूं की फसल में प्रोपोकोनाजोल (फंगीसाइड फफूदनाशक) दवा का छिडकाव, करनाल बंट नामक बिमारी के नियंत्रण के लिये करना अनिवार्य होगा। यदि ठेकेदार इस दवा का प्रबंध नहीं कर सकता तो फार्म अपने स्तर पर छिडकाव कराएगा, साधन ठेकेदार का होगा तथा दवा व साधन

की कीमत उसके अंतिम भुगतान बिल में से काट ली जायेगी। **<u>प्रस्तावित/ आवंटित क्षेत्र में फार्म पर कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।</u>**

4 (i) यदि किसी कारणवस फार्म सफल निविदादाता को आधारीय/प्रमाणिक बीज उत्पादन कार्यक्रम का वितरण नही कर पाता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक फसलों का कार्यक्रम आवंटन सफल निविदादाता को किया जायेगा, व्यवसायिक फसलों उत्पाद का फार्म हिस्सा ही रखा जायेगा और निविदाता का हिस्सा उनको ले जाना होगा उसका भुगतान फार्म द्वारा नही किया जायेगा।

5. खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुबाई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुडाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, काटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुंचा कर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से एक वर्ष 2021-22 के लिये रबी 2021-2**2** व जायद– 22 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जायेगा। **निविदादाता को उसके देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 70 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उत्पाद में से बीज रिकवरी प्राप्त होने व फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जाएगा।** यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान फार्मों के लिये श्रीगंगानगर मण्डी (मूंगफली व मोठ के लिए बीकानेर मण्डी) के आवक पिरियड के एक माह के अधिकतम न्यूनतम दर के औसत के आधार पर भुगतान किया जायेगा।जिसका समय इस प्रकार होगा :- धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक, उडद,मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर व ग्वार 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर,सरसों 16 अप्रैल से 15 मई, चना 15 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 15 मई से 15 जून होगा तथा हिसार फार्म के लिये धान 16 अक्टूबर से 15 नवम्बर, उडद, मूंग, मोठ व मूंगफली 1 नवम्बर से 30 नवम्बर, ग्वार 1 अक्टूबर वे 31 अक्टूबर व सरसों, चना, मटर, मसूर 16 अप्रैल से 15 मई, गेहूं व जौ 15 मई से 30 जून होगा। यदि किसी दलहन फसल की जींस की दर हिसार/हरियाणा मण्डी में नहीं मिलती है तो यू0पी0 की निर्धारित मण्डी की दर पर भुगतान करने का प्रावधान किया जायेगा ।

क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोडा जाएगा।

ख.	किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नही किया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा। 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी। फसल अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।

ग.	जूट एवं सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद के प्रोक्यूरमैंट प्राइस से 20 प्रतिशत कम दर पर खरीदे जायेगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमैंट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद में उपलब्ध नहीं है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमैंट प्राइस के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसानों को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।

घ.	यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभावित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त/ फीके रंग के/ खराब हो जाते है, तब ऐसी परिस्थितियों में,निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नहीं करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

ङ.	खलिहान पर रा-सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त/ विचलित/ खराब/ फीका/ कीटग्रस्त/सूखा अनाज/ मिटटी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात 15 प्रतिशत से अधिक पाए जाते है तब ऐसे लाट की सफाई (निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्चे पर करनी होगी और रा सीड गैर-बीज की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमश: फार्म के हिस्से को रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा ।

च.	निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुंचाए कम्बाइन मिक्सचर तथा रोगिंग मैटिरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा ।

छ.	फार्म द्वारा raw seed का intake करते समय यह सावधानी रखनी पड़ेगी कि raw seed की quality सही हो एवं कचरा मिट्टी, चूरी, खरपतवार बीजों आदि से पूर्ण तरह मुक्त हो ताकि Seed Recovery निश्चित सीमा से अधिक आए व processing losses भी कम से कम रहे। हिस्सा आधारित पद्धति से उत्पादित किसानों से प्राप्त raw seed की फसलवार न्यूनतम तय की गई Seed Recovery Percentage :-

क्रम संख्या	फसल का नाम	न्यूनतम Seed Revovery %
रबी फसल		
1	गेहूँ, जौ	80%
2	चना, सरसों, तोरिया, अलसी	78%
3	जई	75%
शेष अन्य फसलें		78%

यदि Seed recovery निश्चित न्यूनतम सीमा से कम आती है तब ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति इसका आंकलन करेगी तथा फार्म हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कटौती करने का निर्णय लेगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

Rate to be fixed if recovery received less than crop wise percentage fixed

<u>Actual seed recovery X Rate/P.Q.</u>

Crop wise seed recovery percentage fixed.

6. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा ।
7. निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्य सम्बंधित चक इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वंय वहन करेगा ।
8. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी सफल निविदाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदाता फार्म चक पर टयूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदाता की सहमति से निणर्य होगा कि टयूबवैल फार्म पर रखने हैं या निविदाता उखाड कर ले जायेगा। टयूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर निविदादाता संबंधित चक पर स्थित ट्यूबवैल का उपयोग करना चाहता है तो फार्म प्रशासन से इसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी तथा इस पर आने वाले समस्त खर्च निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा। निविदादाता को सिचांई/डिग्गी भरने हेतु नहर मे समय समय पर आने वाले पानी के बहाव के दौरान ही निम्नानुसार वर्णित चकों मे पानी उपलब्ध करवाया जा सकेगा :–

क्र सं0	चक	दिन व समय
1	1 BGM	1 BGM चक का सम्पूर्ण पानी
2	2 SAD	2 SAD B आऊटलेट का सम्पूर्ण पानी एवं 2 SAD A आऊटलेट का पानी मंगलवार सुबह 6 बजे से मंगलवार सांय 9 बजे (15 घंटे) तक, 1 SAD & EPO को देने के बाद शेष उपलब्ध पानी
3	7 SAD	7 SAD चक का सम्पूर्ण पानी

<u>नोटः पानी की आपूर्ति में आवश्यकतानुसार एवं उपलब्धतानुसार बदलाव किया जा सकता हैं।</u>

9. बीज उत्पादन के लिए पृथककरण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होगें। बीज प्रमाणीकरण से संबधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुन: निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदाता को भरनी होगी। **यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण**

संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद में से फार्म का हिस्सा रख कर किसान का हिस्सा किसान को वापिस कर दिया जाएगा।

10. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवंम दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेंदारी निविदाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ,टीडीएस,दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी का दायित्व निविदाता का होगा। यदि, फार्म को किसी मामले में निविदाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा ।
11. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भर कर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।
12. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर में लिया जायेगा।
13. संबधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (undertaking) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पति का निविदाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई स्थाई निमार्ण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदाता से वसूली जायेगी।
14. संबधित प्रक्षेत्र पर पशुधन एवंम अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
15. संबधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एंव सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढाया जा सकता है।
16. निविदा में दिये गये एरिया को कम व ज्यादा करने एवं निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।
17. फसल कटाई के उपरांत पशु भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
18. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा यदि फार्म का कृषि उपकरण मशीनरी उपयोग में आई तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा।

19. हिसार फार्म पर गेहूं फसल के अलावा व राजस्थान के फार्मों पर सभी फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूडी) निविदाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वंय करेगा।
20. फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवं फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।
21. (i) प्रत्येक फसल के उत्पादन का लक्ष्य उस चक पर प्राप्त गत तीन वर्षो में से अधिकतम फसलवार उत्पादकता के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि निविदादाता की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पायी जाती है तब निविदाता इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी।

21 (ii) यदि प्रस्तावित चक पर किसी फसल की पिछले 3 वर्षो में किन्ही कारणों से उत्पादकता अपेक्षा से कम रही है या उस फसल का उत्पादन इन तीन वर्षो में इस चक पर नहीं लिया गया है तब एसी स्थिति में फार्म अपने स्तर पर इस चक पर उस विशेष फसल की उत्पादकता का लक्ष्य निगम के हित को ध्यान में रखते हुए निश्चित करेगा।

यदि लक्ष्य से कम उत्पादन आता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि निविदादाता की तरफ से फसल उत्पादन में कमी पायी जाती है तब निविदाता इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आंकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी।

22. निविदाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिर्पोट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर भी अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।
23. निविदाता द्वारा कीट व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र में आई.पी.एम. प्रक्रिया अपनानी होगी ।
24. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
25. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेडी है तो निविदाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेडछाड नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।
26. निविदाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।
27. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल आउटसोर्सिंग का कार्य फसल वर्ष 2021-22 (रबी 2021-22 व जायद– 22) के लिए होगा भविष्य में बोर्ड की स्वीकृति मिलने पर समान दरों व शतों पर यह आउटसोर्सिंग का कार्य अन्य एक वर्ष के लिए आपसी सहमति से बढाया जा सकता है
28. यदि निविदाताकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नहीं किया जाता है, तब फार्म निविदाताकर्ता के जोखिम एंव लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5 प्रतिशत प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन में

इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य में निविदा में भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।

29. **निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- रू० के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जायेगी।**
30. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान/ नियंत्रण /निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि निविदाता अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
31. **नियमानुसार अंतिम भुगतान से पहले TDS, सभी कर व अन्य कटौतिया काटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा**
32. नाली के पानी का स्वतंत्र प्रवाह, उसका भंडारण व वितरण का संपूर्ण अधिकार फार्म प्रशासन का होगा।
33. समय समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों/आदेशों की निविदादाता द्वारा अनुपालना करनी होगी।
34. इस निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सिविल/आपराधिक कार्यवाही का सामना करने का उतरदायित्व निविदादात्ता पार्टी का होगा।
35. ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion.Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision.The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of low. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

निविदाता के हस्ताक्षर